HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2246/2024

In

S.B.Criminal Appeal No.1232/2024

Ramesh Kedia Son Of Shri Niwas Kedia, Aged About 67 Years, Resident 501, Green Vishta Apartment, Devi Marg, Banipark, Jaipur (Raj) (At Present Confined In Centrla Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

Narcotic Control Bureau, Through Standing Counsel

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2251/2024

In

S.B.Criminal Appeal no.1233/2024

Akhil Kedia Son Of Ramesh Kedia, Aged About 34 Years, Resident Of 501, Green Vishta Apartment, Devi Marg, Banipark, Jaipur (Raj) (At Present Confined In Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

Narcotic Control Bureau, Through Standing Counsel.

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री राजवीर सिंह गुर्जर
मि. सीमा शेखर

For Respondent(s) : श्री तेज प्रकाश शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24-02-2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्त**गण** की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण, जयपुर महानगर, प्रथम** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**40/2020 सरकार बनाम मुकर्रम हुसैन वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **12.06.2024** के विरूद्ध ये पृथक–पृथक दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि छः वर्ष से अधिक हो चुकी हैं, प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, उनके द्वारा अपील में जो आधार लिए गए है उनके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य हैं । प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है ।

उनका यह भी तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, मनोहर लाल ऐनानी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** के मामलों में लंबी हिरासत के कारण जमानत देने की अवधारणा पर विचार किया था, **मनोहर लाल (सुप्रा)** के मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए पांच साल से अधिक की हिरासत अवधि को पर्याप्त माना गया था। प्रस्तुत अपील के शीघ्र निस्तारण की सम्भावना क्षीण है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि बरामदशुदा मादक पदार्थ की

मात्रा अत्यधिक है, अपराध की प्रकृति गंभीर है अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होते हैं ।

परिणामतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक 24**.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, अपना पता बदलने की स्थिति में वह न्यायालय को सूचित करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बिना भारत देश नहीं छोडेगा तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रमेश केडिया पुत्र श्री निवास केडिया व 2. अखिल केडिया पुत्र रमेश केडिया** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/16-17sos